रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062020-219984
CG-DL-E-17062020-219984

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 298] नई दिल्ली, बुधवार, जून 17 , 2020/ज्येष्ठ 27, 1942
No. 298] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2020/JYAISTHA 27, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2020

सा.का.नि. 389(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में नैदानिक मनोविज्ञान के आचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, कांके, रांची में नैदानिक मनोविज्ञान के आचार्य (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2020 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.—**इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नैदानिक मनोविज्ञान के आचार्य	2* (2020) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-12 (78800-209200 रु.)	चयन	पचास वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी न की वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचलप्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिला तथा चंबा जिला का पांगी उपखंड, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है ।)	**आवश्यक:** (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मनोविज्ञान या नैदानिक मनोविज्ञान में मास्टर - डिग्री । (2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में एम फिल की डिग्री । (3) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नैदानिक मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री (पीएच.डी) । (4) नैदानिक मनोविज्ञान में शिक्षण और अनुसंधान का दस वर्ष का अनुभव, जिनमें से किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में नैदानिक मनोविज्ञान के सह आचार्य के रूप में कम से कम पाँच वर्षों का शिक्षण अनुभव। **वांछनीय:** सूचिवद्ध शोध पत्रिका में अनुसंधान या प्रकाशन का कार्य । **टिप्पण 1:** अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अर्हताएँ शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएँ संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित जतियों या अनुसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी चरण पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय हो की आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: सीधी भर्ती या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष।	1. पचास प्रतिशत प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि संविदा सहित)/प्रोन्नति द्वारा। 2. पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रतिनियुक्ति (अल्प अवधि संविदा सहित)/प्रोन्नति: (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या अर्ध-सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठन के अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रुपए) या समतुल्य पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । **टिप्पण 1:** नैदानिक मनोविज्ञान के विभागीय सह आचार्य जिन्होने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67700-208700 रु.) की श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और बाहरी व्यक्तियों के साथ प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता और अनुभव पर विचार किया जाएगा । यदि पद पर नियुक्ति के लिए किसी विभागीय अभ्यर्थी का चयन होता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा जाना माना जाएगा । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुकृति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	**समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-** 1. उप महानिदेशक (एम) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष 2. निदेशक, केन्द्रीय मन:चिकित्सा संस्थान, रांची -सदस्य 3. निदेशक (चिकित्सा शिक्षा), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[फा. सं. ए-12018/07/2019-एमई]

नीलाम्बुज शरण, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th, June 2020

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Professor of Clinical Psychology in the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Central Institute of Psychiatry, Kanke, Ranchi, Professor of Clinical Psychology (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of post**	**Classification**	**Level in pay matrix**	**Whether selection post or non-selection post**	**Age-limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Professor of Clinical Psychology.	2* (2020) * Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level 12 in the pay matrix (Rs. 78800 – 209200).	Selection.	Not exceeding fifty years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date of receipt of applications from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam,	**Essential:** (1) Master Degree in Psychology or Clinical Psychology from a recognised University or institute. (2) Master in Philosophy in Clinical Psychology from a recognised University or Institution. (3) Doctorate Degree (Ph.D.) in Clinical Psychology from a recognised University or Institution. (4) Ten years teaching and research experience in Clinical Psychology out of

					Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim,Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Himachal Pradesh and Union territory of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep.	which at least five years teaching experience should be as Associate Professor of Clinical Psychology from a recognised University or Institution. **Desirable:** Research or published work in indexed journal. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of probation, if any**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods**	**In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable	One year for direct recruits.	1. Fifty per cent. by deputation (including short term contract)/ promotion. 2. Fifty per cent. by direct recruitment.	Deputation (Including Short term Contract)/Promotion: (1) Officer under the Central Government or State Government or Universities or recognised research institutions or public sector undertakings or semi-government or statutory or autonomous organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with five years regular service in the grade	**Group 'A' Departmental confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Deputy Director General (M), Directorate General of Health Services – Chairman (2) Director, Central Institute of Psychiatry, Ranchi - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

			rendered after appointment thereto on regular basis in level 11 in the pay matrix (Rs.67700 – 208700) or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the education qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The Departmental Associate Professor of Clinical Psychology in level 11 in the pay matrix (Rs.67700 – 208700) with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion. **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	(3) Director (Medical Education), Directorate General of Health Services - Member.	

[F. No. A-12018/07/2019-ME]

NILAMBUJ SHARAN, Economic Advisor

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.17 21:30:39 +05'30'